कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नेरट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-15.07.2024

विषयः-पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन श्री मनीष कुमार शांडिल्य की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय बाबतपुर में गोमती जोन के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व प्र0नि0/थानाध्यक्ष के साथ की गई अपराध गोष्ठी एवं दिए गये आवश्यक निर्देश ।

1. आगामी त्यौहार श्रावण मास के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये ।
2. महिला सम्बंधी एससी/एसटी से संबंधित अपराधों का गंभीरतापूर्वक त्वरित विधिक निस्तारण किया जाये तथा निस्तारण के उपरान्त उनके फीडबैक प्राप्त कर आवश्कतानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. महिला हेल्प डेस्क को सुव्यवस्थित रखने तथा महिला हेल्पडेस्क पर आने वाले प्रत्येक आगन्तुक का विवरण आगन्तुक रजिस्टर मे दर्ज किया जाए ।
4. टॉप 10-अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करना, जिलाबदर घोषित कराने सम्बन्धी निर्देश दिये गये।
5. थानों पर अपराधियों की सूची का अवलोकन कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए।
6. विगत वर्षों से प्रकाश में आये, जिन अपराधियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।
7. महिला संबधी अपराधोंगौतस्कर व शराब माफियाओं के विरुद्ध कठोर विधि/गोकशी/क कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
8. थाना क्षेत्र के लापता एचएस की जानकारी कर चेकिंग एवं प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाए।
9. थानों पर लम्बित मुकदमाती मालों के नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिए गए।
10. जनता की समस्याओं को नम्रतापूर्वक सुनकर उन्हें भरोसा दिलाते हुये समस्याओं का त्वरित विधिक निस्तारण किया जाये।
11. पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा हिस्ट्रीशीटरजेल से रिहा अपराधियों की / गतिविधियों पर विशेष निगरानी की जाये।
12. थाना क्षेत्रों में प्रतिदिन पैदल गश्त करते हुए संदिग्ध व्यक्तिवा/हन चेकिंग की जाये साथ ही शराब के ठेकोंएटीएम सर्राफा दुकानों के आसपास चेकिंग की जाये।/बैंक/ढाबा होटलों/
13. थानों में लम्बित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्वक शीघ्र निस्तारण किया जाये।
14. भूमि सम्बंधी विवादों का राजस्व विभाग की सहायता से निस्तारण करवाया जाये तथा आवश्यकतानुसार पक्षकारों को पाबंद कराया जाये।
15. थानो पर गुमशुदगी रजिस्टर का अवलोकन कर पूर्व में गुमशुदा लोगों की तलाश में तेजी लायी जाये।

16.पीआरवी वाहन क्षेत्र में धार्मिक स्थलोंशिक्षण संस्थानों के आस पास भ्रमणशील रहे/एटीएम /बैंक /, थाना प्रभारी पीआरवी वाहनों की नियमितआकस्मिक चेकिंग करना सुनिश्चित करें।/

17.प्रत्येक बीट उपअपने बीट मे नियमित रुप से भ्रमणशील रहते हुये -बीट आरक्षी अपने/निरीक्षक-08-रजिस्टर नम्बरकी चेकिंग करते हुये ग्रामवासियों से चौपाल लगाकर वार्ता करेगें। समस्त सहायक पुलिस आयुक्त एवं थाना प्रभारी पुलिस आरक्षियों की बीट बुक नियमित चेक करें।

18.यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाये।

19.सभी थाना प्रभारी अपने अधीनस्थ कर्मियों से प्रतिदिन संवाद करें, उनको प्रतिदिन टास्क दिया जाए तथा फिर उनके कामों की समीक्षा करने हेतु निर्देश दिए गए।

20.आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों, पब्लिक ग्रिवांस, व सीएम डैश बोर्ड, पेर्टल में वर्णित विषयों को भौतिक सत्यापन करते हुए समयबद्धता, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

21. “त्रिनेत्र सस्करण 2.0” (त्रिनेत्र के नये वर्जन) के तहत समस्त थाना प्रभारी अधिक से अधिक पुराने अपराधियो का डाटा अपलोड कराने/नवीनतम फोटो अपडेट कराने हेतु सीसीटीएनएस प्रभारी/कर्मचारी को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

22. महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत एण्टी रोमियो टीम/महिला बीट अधिकारी द्वारा मिशनशक्ति कक्ष/महिला हेल्प डेस्क तथा लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर बाजार सार्वजनिक स्थानों/स्कूल/कॉलेज/शिक्षण संस्थानों में महिलाओं/बालिकाओं से सम्पर्क कर गोष्ठी का आयोजन करते हुये उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाये तथा विभिन्न लाभप्रद योजनाओं/हेल्पलाइन नम्बरों आदि की जानकारी दी जाये।

23.थानों पर सम्बन्धित सर्किल अधिकारी व थाना प्रभारियों द्वारा समकक्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पीस कमेटी की बैठक करने तथा त्यौहारों के अवसर पर होने वाले सभी कार्यक्रमों में समुचित पुलिस प्रबन्ध करते हुए सतर्क दृष्टि रखने सम्बन्धी निर्देश दिये गये।

इस दौरान अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा व राजातालाब तथा समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष व अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराण